



## जनपद बिजनौर

प्रेसनोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक 10.05.2026

**थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 210/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी किये गये सामान सहित किया गया गिरफ्तार ।**

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.05.2026 को वादी श्री आदिल पुत्र शफीक अहमद, निवासी ग्राम चन्दनपुरा मथुरापुर मोर, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गई कि दिनांक 04.05.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों उनके कार्यालय के बाहर कोटद्वार रोड पर खड़े डम्परो से लगभग 800 लीटर डीजल एवं 04 बैटरियां चोरी कर टाटा डीसीएम में भरकर ले गये है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 210/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही:-

दिनांक 10.05.2026 को समय करीब 02:55 बजे थाना नजीबाबाद पुलिस टीम दौराने चेकिंग में मौजूद थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक आयशर केंटर संख्या UP-22T-2674 कोतवाली देहात की ओर से नजीबाबाद की तरफ आ रहा है, जिसमें सवार व्यक्ति सड़क किनारे खड़े वाहनों से तेल चोरी करने का कार्य करते हैं तथा 05-06 दिन पूर्व चन्दनपुरा के पास कोटद्वार रोड पर खड़े डम्परो से तेल एवं बैटरी चोरी की घटना को भी इन्हीं व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया गया था।

मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। वाहन रुकते ही उसमें सवार 04-05 व्यक्ति वाहन से उतरकर भागने लगे, जिनका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान पुलिस टीम ने एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गये। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम बिलाल पुत्र नासिर निवासी ग्राम दौलतपुर थाना नौगंवा सादात जनपद अमरोहा बताया तथा घटना में प्रयुक्त आयशर केंटर संख्या UP22T2674 से 02 प्लास्टिक कैन (प्रत्येक 50-50 लीटर) में कुल 100 लीटर डीजल, 02 ट्रक बैटरी, 05 खाली प्लास्टिक कैन तथा 01 फास्ट ट्रैक घड़ी बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त से की गयी पुछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में 05 अभियुक्तगण 1. मोहित कुमार पुत्र रामधन निवासी ग्राम खेडा थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर 2. मतलूब पुत्र अब्दुल वारिस ग्राम मोहरका पट्टी थाना गजरौला जनपद अमरोहा 3. आबिद पुत्र याकूब अली ग्राम मोहरका पट्टी थाना गजरौला जनपद अमरोहा 4. मतीन पुत्र याकूब उर्फ नन्हे ग्राम मोहरका पट्टी थाना गजरौला जनपद अमरोहा 5. शकील पुत्र बशीर निवासी ग्राम मोहरका पट्टी थाना गजरौला जनपद अमरोहा का नाम प्रकाश में आये।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

बिलाल पुत्र नासिर निवासी ग्राम दौलतपुर थाना नौगंवा सादात जिला अमरोहा



### पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त बिलाल से पूछताछ में बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पूर्व से ही सड़क किनारे खड़े वाहनों से तेल चोरी करने का कार्य करता है तथा दिनांक 03/04.05.2026 की रात्रि में उसने अपने उपरोक्त साथियों के साथ मिलकर ग्राम चन्दनपुरा के पास कोटद्वार रोड खड़े 03 डम्परो से तेल तथा 02 डम्परो से बैटरियां चोरी की थीं।

### बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त आयशर केन्टर संख्या UP-22T-2674 से 02 प्लास्टिक कैन (प्रत्येक 50-50 लीटर) में कुल 100 लीटर डीजल, 02 ट्रक बैटरी, 05 खाली प्लास्टिक कैन तथा 01 फास्ट ट्रैक घड़ी

### वांछित अभियुक्तगण के नाम व पता-

- 1.मतलूब पुत्र अब्दुल वारिस ग्राम मोहरका पट्टी थाना गजरौला जनपद अमरोहा
- 2.आबिद पुत्र याकूब अली ग्राम मोहरका पट्टी थाना गजरौला जनपद अमरोहा
- 3.मतीन पुत्र याकूब उर्फ नन्हे ग्राम मोहरका पट्टी थाना गजरौला जनपद अमरोहा
- 3.शकील पुत्र बशीर निवासी ग्राम मोहरका पट्टी थाना गजरौला जनपद अमरोहा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.का0 1287 नीरज पंवार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.का0 2086 सीताराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.का0 2571 सुमित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक 10.05.2026

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया ।

### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.05.2026 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1.आशुतोष पुत्र रामलाल निवासी मौ० रविदासनगर कस्बा व थाना नूरपुर



जनपद बिजनौर, 2.शिवम पुत्र बाबू सिंह निवासी मौ० हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० मु०अ०सं० 169/2026 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.आशुतोष पुत्र रामलाल निवासी मौ० रविदासनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.शिवम पुत्र बाबू सिंह निवासी मौ० हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

### बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अवैध चाकू ।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

### अभियुक्त आशुतोष उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 169/2026 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 481/2018 धारा 323/324 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 505/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 06/2020 धारा 147/148/427/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 133/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 305/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
7. मु0अ0सं0 363/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
8. मु0अ0सं0 328/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
9. मु0अ0सं0 442/2022 धारा 147/307/323/325/427/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
10. मु0अ0सं0 409/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
11. मु0अ0सं0 14/2024 धारा 147/148/307/323/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
12. मु0अ0सं0 197/2024 धारा 336/452/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
13. मु0अ0सं0 429/2024 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
14. मु0अ0सं0 281/2025 धारा 115(2)/125/352 बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

### अभियुक्त शिवम उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 169/2026 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्रीकान्त सत्यार्थी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 2027 विपुल यादव थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 829 सुमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 अनुज राणा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 5.का0 अजत शर्मा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 6.का0 तनेश कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक 10.05.2026

**थाना नूरपुर पुलिस द्वारा बाल अपचारी को एक अवैध शस्त्र सहित पुलिस निगरानी में लिया गया ।**

### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.05.2026 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 01 बाल अपचारी को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित पुलिस निगरानी में लिया गया । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 170/26 धारा 3/9/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### बाल अपचारी का नाम व पता:-

एक बाल अपचारी ।

### बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर ।

### पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 415 भूपेन्द्र सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.हे0का0 166 अंकुर पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 2578 भूदेव सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर पुलिस

दिनांक 10.05.2026

**“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय से अपराधियों को दिलाई गई सजा के संबंध में।**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय से अपराधियों को दिलाई गई सजा के संबंध में—

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक (14 माह) प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी करते हुए उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए गए हैं।

वर्ष 2025 से अप्रैल 2026 तक कुल 72 अभियोगों में 74 हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाई गई, जिसमें कुल 18 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित कराया गया।

उपरोक्त अभियोगों में जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्यों का प्रभावी संकलन तथा अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा उक्त सजाएं प्रदान की गई हैं।

**जनपद बिजनौर पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।**



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक- 10.05.2026

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चांदपुर से मु0अ0सं0 221/26 धारा  
61(2)/190/191(2)/191(2)/115(2)/109(1) बीएनएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 25.04.2026 को आवेदक श्री सोनाथ सैनी पुत्र चेताराम सिंह सैनी निवासी मौहल्ला सरायरफी चान्दपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.सनी पुत्र सुरेन्द्र सिंह, 2.अनिकेत पुत्र मनोज कुमार निवासीगण मौ० सरायरफी हरीजन नाले के पास कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, 3.गोपी निवासी थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा, 4.मुकुल पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ० शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व 05 अज्ञात लडके के द्वारा वादी के लडके अमन सैनी को जान से मारने की नियत से दो बार गोली चलाना व पीटकर बेहोश कर दिया है ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 221/2026 धारा 190/191(2)/191(2)/115(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही में उपरोक्त अभियोग में धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है । दिनांक 05.05.2026 को अपचारी अनिकेत उपरोक्त को पुलिस निगरानी मे लिया जा चुका है ।

**कार्यवाही विवरण-**

दिनांक 10.05.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गोपी उर्फ गोपू उर्फ चाहत पुत्र महेश चौहान निवासी ग्राम नेनूनागल थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

**नाम पता बाल अपचारी -**

गोपी उर्फ गोपू उर्फ चाहत पुत्र महेश चौहान निवासी ग्राम नेनूनागल थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

- 1.उ0नि0 श्री मदनपाल राणा थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 2.कां0 1882 कृष्ण कुमार थाना चांदपुर बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नांगल

दिनांक 10.05.2026

**थाना नांगल पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध तमंचे सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.05.2026 को थाना नांगल पुलिस द्वारा अभियुक्त गुलजार पुत्र लड्डन निवासी ग्राम सबलपुर बीतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 61/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम गुलजार उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गुलजार पुत्र लड्डन निवासी ग्राम सबलपुर बीतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

### बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 32/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 49/2021 धारा 2/3 गैस्टर अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 48/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 61/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री हरस्वरूप शर्मा थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 2.है0का0 746 संजीव थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 3.का0 1847 अजय थाना नांगल जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना स्योहारा

दिनांक- 10.05.2026

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 149/2026 धारा 103(1)/3(5)/191(2)/140(1) बीएनएस व धारा 3(2)/5 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 30.04.2026 को वादी श्री नृपेन्द्र सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम जुझैला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.पंकज कुमार 2.अतर सिंह पुत्रगण आनन्द सिंह 3. राहुल सैनी पुत्र नरेश कुमार 4. अर्जुन सिंह पुत्र शिशो उर्फ शीशराम समस्त निवासीगण ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर और 10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र गुलशन की हत्या कर दी गयी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 149/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3(2)/5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र गेंदा सिंह, 2.रजनीश पुत्र चमन व 3.संजय कुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासीगण ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये । प्रकरण में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 191(2)/140(1) बीएनएस की वृद्धि की गई है ।

अभियुक्तगण 1.पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र गेंदा सिंह, 2.रजनीश पुत्र चमन व 3.अतर सिंह पुत्र आनन्द सिंह निवासीगण ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को दिनांक 04.05.2026 में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।



**कार्यवाही-**

आज दिनांक 10.05.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त संजय कुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल TVS राईडर (नं0 UP20CZ0521) का धारा 207 एमवी एक्ट में चालान किया गया है । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

संजय कुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

**बरामदगी का विवरण-**

घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल TVS राईडर (नं0 UP20CZ0521)

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-**

- 1.उ0नि0 श्री शिवा नैन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 129 कुलदीप थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 2073 सन्नी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।